11/2017 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 11/2017 अनवानी श्री जयप्रकाश निवासी एच 676 एम.आई.ए. सेकेण्ड फेस, बासनी जोधपुर बनाम बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21—03—2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जयप्रकाश उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2016 के द्वारा कुल 30 बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी से चाही है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि लोक सूचना अधिकारी ने आरटीआई एक्ट की धारा 2(च) के तहत सूचना देने से ईन्कार कर दिया है। अतः अपील स्वीकार करके वांछित सूचनांए दिलवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना जबाब जरिये पत्र सं0 2220 दि0 23.02.2017 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओं के संबंध में अपीलार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ अपील संख्या 189/2016 जयप्रकाश बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर प्रस्तुत की गयी थी जिसका निर्णय 11.02.2017 को किया जा चुका है। इसलिए अपील खारिज करने की प्रार्थना की है।

लोक सूचना अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन एवं अपील सं0 189/2016 का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने यह अपील अपने प्रा0 पत्र दिनांक 12.11.2016 के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये उत्तर संख्या 1910 दिनांक 29.11.2016 की अप्रसन्नता से प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी द्वारा इसी आवेदन पत्र दिनांक 12.11.2016 के लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये उक्त उत्तर संख्या 1910 दिनांक 29.11.2016 की अप्रसन्नता से अपील संख्या 189/2016 जयप्रकाश बनाम लो.सू.अ. उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर प्रस्तुत की गयी थी जिसका निर्णय दिनांक 11.02.2017 को किया जा चुका है जिसके निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी व अपीलार्थी को भिजवाई जा चुकी है। इसलिए इस अपील पर आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नही है।

अतः उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर